न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री भागीरथराम चौधरी (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 47/2023
तारीख दायरा :– 28.12.2023

प्रार्थी :–

मांगीलाल पुत्र गोमाराम माली निवासी सादडी, तहसील–देसूरी, पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

मीरा पत्नी जसाराम जाति माली निवासी सादडी तहसील–देसूरी,जिला–पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी

उपस्थिति–

1– श्री दिनेश कुमार माली प्रार्थी की ओर से।
2– अप्रार्थीगण एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक– 19.1.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक राजस्व वाद संख्या 52/2021 वादी चम्पालाल बनाम प्रतिवादी मीरा के वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2023 को जारी की गई थी। प्रमाण में प्रतिलिपि निर्णय एवं डिक्री प्रस्तुत की है।

उक्त वाद में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांक 17.04.2023 के अवलोकन बाद वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा का निर्णय किया गया है। जिसमें ओदश दिया गया जिसमें लिपिकिय त्रुटि से प्रतिवादीगण के बंट में रखी गई भूमि के खातेदार संख्या 14 मथरा से 18 पोनी तक का हिस्सा 1/121 इन्द्राज कर दिया गया था। जबकि 1/21 हिस्सा इन्द्राज करना था। बंटवाडा प्रस्ताव में भी 1/21 वां हिस्सा ही इन्द्राज है। इस प्रकार लिपिकिय त्रुटि आदेश डिक्री में होने से तहसीलदार, पटवारी द्वारा पालना में नामान्तरकरण नहीं खोला गया। तब प्रार्थी को उक्त लिपिकिय त्रुटि की जानकारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि श्रीमान के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 52/2021 के वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2023 को जारी की गई थी। उसमें लिपिकिय त्रुटिवश प्रतिवादीगण के बंट में रखी गई भूमि के खातेदार संख्या 14 मथरा से 18 पोनी तक का हिस्सा 1/121

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज कर दिया गया था जबकि 1/21 हिस्सा इन्द्राज करना था। बंटवाडा प्रस्ताव में भी 1/21 वां हिस्सा ही इन्दाज में इस प्रकार लिपिकिय त्रुटि आदेश डिक्री में होने से तहसीलदार, पटवारी द्वारा पालना में नामान्तरकरण नहीं खोला गया। लिपिकिय त्रुटि को निर्णय एवं डिक्री में लाल स्याही से 1/121 वां हिस्सा के स्थान पर 1/21 वां हिस्सा प्रतिवादीगण के खातेदार संख्या 14 से 18 का किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय के ओदश व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 14 मथरा से प्रतिवादी संख्या 18 पोनी तक का हिस्सा 1/121 की बजाय 1/21 वां हिस्सा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मुल वाद संख्या 52/2021 के वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2023 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मुल वाद संख्या 52/2021 के वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2023 को जारी की गई जिसमें लिपिकिय त्रुटिवश निर्णय के आदेश व डिक्री में पेज संख्या 6 व 10 में प्रतिवादी संख्या 14 मथरा से प्रतिवादी संख्या 18 पोनी तक का हिस्सा 1/121 की बजाय 1/21 वां हिस्सा दुरूस्त करने का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर हिस्सा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उक्त निर्णय मूल पत्रावली राजस्व वाद संख्या 52/2021 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.07.2023 के संलग्न हो।

निर्णय की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार देसूरी को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 19-1-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ., देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी